पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0–8-19
क्रमांक– 102/2017
आरबीई सं0–20/2017
सं0 का/254/2/भाग–22/चार

दिनांक 30–05–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:–अराजपत्रित पदों का संशोधित वर्गीकरण और उन्हें भरने की विधि 31.12.2016 के बाद की रिक्तियों को भरने की योजना।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)I–2008/पीएम 1/15 दिनांक 03.03.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र की अंग्रेजी प्रतिलिपि पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.03.2017 (क्रमांक–47/2017) द्वारा पूर्व में जारी किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

30.5.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

30.05.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R-80

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAYS BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2008/पीएम1/15 नई दिल्ली, दिनांक 03.03.2017

महाप्रबंधक(पी),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित पदों का संशोधित वर्गीकरण और उन्हें भरने की विधि - 31.12.2016 के बाद की रिक्तियों को भरने की योजना।

संदर्भ: उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 03.09.2009, 07.06.2010, 21.11.2011, 23.05.2012, 15.1.2013, 24.05.2013, 03.01.2014, 16.06.2014, 31.12.2014 और 09.02.2016 के समसंख्यक पत्र।

6ठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के परिणामस्वरूप ग्रेडों के विलय होने पर अराजपत्रित पदों को भरने की विधि के संबंध में बोर्ड के दिनांक 03.09.2009 के आदेश की ओर ध्यान दिलाया जाता है। अराजपत्रित पदों को भरने की इस विधि की उपर्युक्त योजना को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है जिसकी अंतिम वैधता 31.12.2016 तक है।

2. 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.45 में सिफारिश की है कि एमएसीपी और साथ ही नियमित पदोन्नति के लिए निष्पादन मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क को "अच्छा" से बढ़ाकर "बहुत अच्छा" किया जाए। जहां एमएसीपी की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इस संबंध में बोर्ड के दिनांक 19.12.2016 (आरबीई सं. 155/2016), के पत्र सं. पीसी-V/2016/एमएसीपीएस/1 के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं, वहीं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करके नियमित पदोन्नति के लिए बेंचमार्क से संबंधित मामले की अभी जांच की जा रही है।

3. तदनुसार, बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि जब तक नियमित पदोन्नति के लिए बेंचमार्क के लिए अनुदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक बोर्ड के उपर्युक्त पत्रों में दर्शाई गई पदोन्नति के लिए मौजूदा विधि और बेंचमार्क अगले आदेश होने तक जारी रखे जाएं।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(पी. एम. मीना)
उप निदेशक-II/ई(एनजी)I
रेलवे बोर्ड